समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 27 August 2026

मंत्रिमंडल बैठक की जानकारी लीक : मुख्यमंत्री देवेंद्रं फडणवीस आक्रमक, प्रशासन ने लिए सख्त फैसले, गोपनीयता के नए नियम लागू

Sanket Morankar Published on 01 Oct 2025

महाराष्ट्र सरकार की हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की गोपनीय जानकारी लीक हो जाने के बाद राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री **देवेंद्रं फडणवीस** ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटनाएँ शासन की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि लीक की घटना की गहराई से जांच की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए **गोपनीयता सुनिश्चित करने वाले नए नियम** और **कठोर दिशानिर्देश** लागू किए जाएं।

1 अक्टूबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल बैठक की कुछ संवेदनशील जानकारी बैठक के तुरंत बाद बाहर आ गई, जिससे सरकार की निर्णय प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। बैठक में अभी तक सार्वजनिक न की गई योजनाओं, प्रस्तावों और आंतरिक चर्चाओं की जानकारी किसी माध्यम से लीक हुई, जो शासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल बैठकें सरकार के नीति निर्माण की रीढ़ होती हैं और इनमें गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने के आदेश दिए हैं, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ और मुख्य सचिव शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

इस घटना के बाद प्रशासन ने मंत्रिमंडल बैठकों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित **नए नियम** और **दिशानिर्देश** लागू किए हैं:

- **सीमित उपस्थिति :** मंत्रिमंडल बैठकों में अब केवल आवश्यक मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के सचिव ही उपस्थित रहेंगे।

- **पूर्व अनुमति :** किसी भी बाहरी अधिकारी की उपस्थिति के लिए मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
- **डिजिटल सुरक्षा :** बैठकों से संबंधित दस्तावेज़ अब केवल सरकारी सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही साझा किए जा सकेंगे।
- **गोपनीयता समझौता :** प्रत्येक अधिकारी को बैठक में भाग लेने से पहले गोपनीयता संधि (NDA) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग :** बैठकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें लॉगिन टाइम, दस्तावेज़ एक्सेस और उपयोग की जानकारी सुरक्षित की जाएगी।
- **कड़ी सजा का प्रावधान :** गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, पद से हटाने या सेवा समाप्ति जैसी सख्त सज़ाएं दी जाएंगी।

गोपनीयता की घटना के बावजूद, बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें शामिल हैं:

- **सरकारी नियमों मे सुधार :** राज्य में 50 साल पुराने शासन संबंधी नियमों को आधुनिक बनाया गया है जिससे विभागों के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- **AVGC-XR नीति 2025 की स्वीकृति :** एनीमेशन, गेमिंग, VFX और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए ₹3,268 करोड़ की नई नीति को मंजूरी दी गई है।
- **बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ:** ग्रामीण और शहरी विकास के लिए नई सड़कें, सिंचाई योजनाएँ और पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- **श्रम सुधार :** श्रमिकों के लिए नई नीतियाँ लागू की गईं हैं और न्याय प्रक्रिया को गति देने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- **आवास योजना और वित्तीय सहायता :** गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लिए नई आवास नीति लागू की गई है, साथ ही मंडी समितियों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सकारात्मक प्रभाव :

- सरकार की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी।
- विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी।
- गोपनीय सूचनाओं की लीकिंग रोकी जा सकेगी।
- नई योजनाओं से राज्य में रोजगार, तकनीकी विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

संभावित चुनौतियाँ:

- अधिकारियों द्वारा नए नियमों को अपनाने में समय लग सकता है।
- डिजिटल सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी।
- नियमों का कठोर पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण जरूरी होगा।
- कुछ अधिकारी पारंपरिक व्यवस्था से हटकर नई प्रणाली में खुद को ढालने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।

मंत्रिमंडल बैठक की गोपनीय जानकारी लीक होना न केवल एक गंभीर लापरवाही है बल्कि यह शासन की नींव को भी हिला सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिए गए त्वरित और सख्त निर्णय दर्शाते हैं कि राज्य सरकार गोपनीयता, पारदर्शिता और

उत्तरदायित्व को सर्वोपरि मानती है।

सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम यदि पूरी तरह से लागू और पालन किए जाते हैं, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है और प्रशासन को अधिक सुदृढ़ व पारदर्शी बनाया जा सकता है। यह घटना पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक चेतावनी है कि प्रशासनिक गोपनीयता बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.